ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)
(Regd No. S/2999 of 1966-67)
FLAT NO. 10, IST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006
Phone : 23967505, 23948000 E-mail : apma1965@yahoo.in Website : www.apma.biz

R.K. GUPTA
PRESIDENT
Mobile : 9891008503

VISHNU BHARGAVA
Hony. General Secretary
Mobile : 9811139614

VINAY NARANG
Hony. Treasurer
Mobile : 9810193816

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/141 दिनांक : 27 जुलाई, 2017

''डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया बिमारियों से आप रहें अलर्ट''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन क्षेत्र के एंटी मलेरिया इंस्पेक्टर श्री ज्ञान रंजन कुमार जी एवं डी.बी.सी. के अधिकारी श्री मनोज कुमार जी ने अपमा कार्यालय को जानकारी दी है कि दिल्ली के कई इलाकों में डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया महामारी का रूप ले चुकी हैं। इन बीमारियों को फैलाने वाला मादा एडीज मच्छर जिम्मेदार होते हैं, जोकि घर व उसके आस पास एकत्र साफ पानी में पैदा होता है। इसलिए इन बीमारियों के रोकथाम हेतु दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा मार्किटों, सड़कों, घरों के आस–पास लार्वा दवा का छिड़काव किया जा रहा है। और कर्मचारी घर–घर जाकर कूलर और पानी की टंकी को चैक कर रहें है। यदि कोई व्यक्ति लार्वा दवा का छिड़काव अपने यहां पर करवाना चाहते है तो डी.बी.सी. के अधिकारी श्री मनोज कुमार जी के मोबाइल नं0 7838615162 से सम्पर्क करें, कर्मचारी आकर उनके क्षेत्र में लार्वा दवा का छिड़काव करेंगे। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने यह भी सूचित किया है कि डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया बीमारियों के रोकमाथ हेतु अगस्त माह में एंटी लार्वा धुआं का भी छिडकाव किया जाऐगा।

डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया बचाव के उपाय, कृपया ध्यान दें।

- घर, ऑफिस, दुकानों के आस–पास बिल्कुल भी पानी जमा न होने दें।
- अपने आस–पास सफाई का विशेष ध्यान रखें, कूड़े को कूडेदान में ही डाले।
- सप्ताह में एक बार कूलर को खाली कर सुखायें, जो कूलर खाली न हो सकें उनमें सप्ताह में एक बार एक चम्मच टैमेफॉस ग्रेन्यूल्स, पैट्रोल या डीजल डालें।
- घर में टूटे फूटे डिब्बे, बर्तन, कप, टायर, खुलें में न पड़े रहने दें, इनमें बरसात का पानी भर सकता है।
- पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें।
- डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए पानी की टंकियों, हौदियों व पानी के बर्तनों को ढक कर रखें।
- फ्रिज की डी–फॉस्ट ट्रे, मनीप्लांट एवं फैंग–शुई पौधे इत्यादि का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें।
- घर व उसके आसपास मच्छर का लार्वा पाये जाने पर डी.एम.सी. एक्ट के तहत चालान किया जा सकता है।

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/142 ''जीएसटी पाठशाला के विषय में''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि गुरूवार दिनांक 27–7–2017 एवं शुक्रवार दिनांक 28–7–2017 को दोपहर 3.00 बजे से लेकर सायं 5.00 बजे तक अपमा कार्यालय में जीएसटी पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। इसलिए हम आप सभी व्यापारी भाईयों से पुनः अनुरोध करते है कि पाठशाला में आकर अपने–अपने व्यापार स संबंधित जानकारियां अवश्य प्राप्त करें तथा जीएसटी से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी प्राप्त कर सकते है। और हमारी उन व्यापारी बन्धुओं से भी विनीत है जिनको जीएसटी के विषय में अच्छा ज्ञान है वह आये और अपने ज्ञान को बांटे तथा अपने बंधुओं को इसका लाभ दें।

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/143

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 26–7–2017 को चैम्बर ऑफ ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री(CTI) के संयोजक श्री ब्रिजेश गोयल जी के नेतृत्व में दिल्ली की विभिन्न–विभिन्न व्यापारिक संस्थाएं–सदर बाजार फडरेशन, नया बाजार, करोल बाग, मोरी गेट एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ अपमा प्रतिनिधियों ने आयुक्त श्री राजेश प्रसाद जी से उनके आई.टी.ओ. स्थित कार्यालय में बैठक को।

साथियों, व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने आयुक्त महोदय जी को जीएसटी क कारण व्यापारियों को आ रही परेशानियों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। आयुक्त महोदय जी ने व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना एवं व्यापार से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिनिधिमण्डल को सकारात्मक आश्वासन दिया। व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने आयुक्त महोदय जी से मांग की कि प्रथम तिमाही रिटर्न की अंतिम तिथि जोकि 28 जुलाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। इस पर आयुक्त महोदय जी ने व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव